न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 100/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. भैरू पुत्र रामू उर्म रामला जाति मीणा निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:--- वादी अपीलांट

बनाम

1 लालाराम पुत्र ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2 बिशम्भर दयाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:--- असल प्रतिवादीगण रेस्पो0

3 कालू पुत्र रामू उर्फ रामला जाति मीणा निवासी चतरपुरा तह0 बानसूर जिला अलवर

4 जस्सू पुत्र रामू उर्फ रामला जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

5 ख्याली पुत्र रामू उर्फ रामला जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

6 कमली पुत्री रामू उर्फ रामला जाति मीणा निवासी चतरपुरा तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

7 डगली पुत्री रामू उर्फ रामला जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

8 मन्नी पुत्री रामू उर्फ रामला पत्नी धुनीराम जाति मीणा निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर (मृतक)

8/1 पप्पू पुत्र धुनीराम जाति मीणा निवासी चतरपुरा तह0 बानसूर जिला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अलवर हाल निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ।

8/2 मेवा पुत्री धुनीराम जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर हाल निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

8/3 गीता पुत्री धुनीराम जाति मीणा निवासी चतरपुरा तहसील बानसूर हाल निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

8/4 सुप्यार पुत्री धुनीराम जाति मीणा निवासी चतरपुरा तह0 बानसूर जिला अलवर हाल निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

:--- तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बानसूर दिनांक 31.10.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री प्रभू सिंह

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल शर्मा

निर्णय दिनांक 8.12.2017

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बानसूर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 134/16 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 31.10.17 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2 विद्वान वकील वादी अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 56 एयर वाके ग्राम चतरपुरा तहसील बानरसूर में मेरा 1/4 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0 कालू, जस्सू, ख्याली का 3/8 है । इन्होंने बहामी बंटवारे में अपना हिस्सा मुझे दे दिया है । विवादित भूमि में मैंने बिजली का कनेक्शन ले रखा है । विवादित भूमि का सम्पूर्ण रकबा मेरा है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

असल रेस्पो0 का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु वे लोग आये दिन मेरी भूमि में मजाहमत करते हैं । इन्होंने लठ के जोर पर न्यायालय का स्थगन होने के बावजूद विवादित आराजी में नींव खोद कर आराजी को कृषि से अकृषि रूप दे दिया । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने आदेश में सुविधा का सन्तुलन आराजी मुतनाजा के 1/4 हिस्से के बाबत माना है व बकाया हिस्सा तरतीबी रेस्पो0 का है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0 ने अपना हिस्सा बाहमी बंटवारे में दे दिया था । इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि पर ही मेरा सुविधा का सन्तुलन साबित है । परन्तु गौर नहीं किया और गलत तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी की सम्पूर्ण रकबे से प्रार्थी वादी अपीलांट का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस आराजी के 1/2 भाग का काबिज काश्तकार खातेदार हमारे बुजुर्ग भगवाना थे तथा शेष 1/2 भाग के प्रार्थी वादी अपीलांट के बुजुर्ग श्योनाथ काबिज काश्तकार खातेदार थे । साबिक खसरा नम्बर 270 रकबा 4 बीघास 07 बिस्वा से हाल नम्बर 347 व 348 बनाये गये हैं । खसरा नम्बर 347 पर हम काबिज हैं तथा खसरा नम्बर 348 पर प्रार्थी वादी अपीलांट एवं अप्रार्थी संख्या 3 ला0 8 काबिज है । सम्वत 2060 में अलग अलग खाते करते समय हमारे कब्जे वाले खसरा नम्बर 347 को प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थी संख्या 3 ला0 8 के नाम दर्ज कर दिया गया तथा उनके कब्जे वाले खसरा नम्बर 348 को सिवायचक दर्ज कर दिया । जबकि मौके पर हम खसरा नम्बर 347 पर ही काबिज हैं तथा प्रार्थी अपीलांट खसरा नम्बर 348 पर ही काबिज हैं । इस प्रकार विवादित आराजी खसरा नम्बर 347 से प्रार्थी वादी अपीलांट व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 8 का कोई वास्ता नहीं है । विद्वान तहत न्यायालय ने सही तौर पर इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विद्वान वकील प्रार्थी वादी अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 56 एयर वाके ग्राम चतरपुरा तहसील बानसूर का वह 1/4 भाग का रिकार्डेड खातेदार है तथा शेष भाग उसने तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0 3 ला0 8 से बाहमी बंटवारे में प्राप्त किया, इस प्रकार वह सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वह मात्र 1/4 भाग खातेदार दर्ज है, सम्पूर्ण रकबे खातेदार दर्ज नहीं है । जब वह सम्पूर्ण रकबे पर खातेदार दर्ज ही नहीं है तो फिर उसका सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कैसे हो सकता है । दूसरी तरफ अप्रार्थी असल रेस्पो0 पुराने रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमि पर अपना कब्जा बताता है । चूंकि मूल वाद अभी लम्बित है । पक्षकारान के टाईटल का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर रहे हैं । यहां पर पक्षकारान में विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर मुख्य विवाद है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि जहां पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो वहां पर यथास्थिति बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायसंगत है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम दोनों ही पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

5 अतः आदे श है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 निरस्त किया जाता है तथा दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 56 एयर वाके ग्राम चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर को रहन, बय न करे, रेकार्ड एवं मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner